

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 10

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, गोपालगंज, जहानाबाद,
नवादा, नालंदा, प० चम्पारण, पू० चम्पारण, बाँका, भोजपुर, मधेपुरा,
शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल।

पटना, दिनांक- 12/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 1,73,02,393/- (रु० एक करोड़ तिहत्तर लाख दो हजार तीन सौ तिरानवें) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 1,73,02,393/- (रु० एक करोड़ तिहत्तर लाख दो हजार तीन सौ तिरानवें) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष-01. 01-वेतन, 01.03-जीवन यापन भत्ता, 01.04-मकान किराया भत्ता, 01.06-चिकित्सा भत्ता, 11.01-यात्रा व्यय, 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियां विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-292, दिनांक-11.02.2021 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वामाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 10

पटना, दिनांक- 12/02/2026

प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि का विवरण

विपत्र कोड-11-2225032770010			वित्तीय वर्ष 2025-26									
क्र० सं०	विद्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	0101 वेतन	0103 जीवन यापन भत्ता	0104 मकान किराया भत्ता	0106 चिकित्सा भत्ता	योग	1101 यात्रा व्यय	1304 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तिर्षाँ	योग	कुल योग
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अररिया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अररिया	0	0	0		0		200000		200000	200000
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अरवल	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अरवल	0	0	0		0	20000	200000		220000	220000
3	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय औरंगाबाद	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी औरंगाबाद	300000	165000	16500	12000	493500		0		0	493500
4	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय कैमूर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी कैमूर	0	0	0		0		200000		200000	200000
5	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खगड़िया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी खगड़िया	0	0	0		0		200000	1500000	1700000	1700000
6	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय गोपालगंज	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज	150000	82500	8250	15000	255750	27500	200000	1500000	1727500	1983250
7	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी जहानाबाद	0	0	0		0		200000		200000	200000
8	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय नवादा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी नवादा	0	0	0		0		200000		200000	200000
9	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय नालंदा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी नालंदा	500000	275000	27500	30000	832500	50000	200000	500000	750000	1582500
10	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय प० चम्पारण	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी प० चम्पारण	904000	497200	49720	11000	1461920		0		0	1461920
11	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय पूर्वि चम्पारण	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी पूर्वि चम्पारण	800000	440000	44000	10000	1294000				0	1294000
12	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बाँका	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बाँका	537600	295680	29568	50000	912848		0		0	912848
13	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय भोजपुर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी भोजपुर	0	0	0	0	0		0	1000000	1000000	1000000
14	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय मधेपुरा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी मधेपुरा	875000	481250	48125	130000	1534375		200000	1000000	1200000	2734375
15	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शेखपुरा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी शेखपुरा	0	0	0	0	0		200000		200000	200000
16	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय सितामढ़ी	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सितामढ़ी	0	0	0	0	0	20000	200000	500000	720000	720000
17	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय सिवान	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सिवान	0	0	0	0	0		0	500000	500000	500000
18	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय सुपौल	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सुपौल	0	0	0	0	0		200000	1500000	1700000	1700000
योग			4066600	2236630	223663	258000	6784893	117500	2400000	8000000	10517500	17302393

(रु० एक करोड़ विहतर लाख दो हजार तीन सौ तिरानवे) मात्र

पत्रांक- 10 दिनांक- 12/02/2026 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव